निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

प्ररूप–2 ख

(नियम– 4 देखिए)

नाम निर्देशन–पत्र

उत्तराखण्ड (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

पूरे चेहरे को सामने से उप दर्शित करते हुए स्वेत/स्वेताभ पृष्ठभूमि में (2 सेमी.× 2.5 सेमी. स्टाम्प आकार नवीनत्म फोटो चस्पा करें।

नीचे भाग 1 या भाग 2, जो लागू न हो, उसे काट दें।

भाग–1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

मैं, विधान सभा के निर्वाचन के लिए ..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम .....

पिता/माता/पति का नाम .....

उसका डाक पता.....

.....

उसका नाम ..... विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या ..... में क्रम संख्या ..... पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम ..... है, जो ..... विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या ..... में क्रम संख्या ..... पर प्रविष्ट है।

तारीख ..... (प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग–2

हम विधान सभा के निर्वाचन के लिए ..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित का नामनिर्देशन करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम .....

पिता/माता/पति का नाम .....

उसका डाक पता.....

.....

उसका नाम ..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या ..... में क्रम संख्या ..... पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त विधान सभा निवार्चन–क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नाम निर्देशन के प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर।

क्रम सं0	**प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक**		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग की क्रम संख्या			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन–क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।					

भाग–3

मैं, भाग –1/ भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में वर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं, और घोषणा करता हूं कि ––

(क) मैं भारत का नागरिक हूं और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है ;

(ख) मैंने ..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(नीचे–ग (i) या ग (ii), जो लागू न हो उसे काट दें)

(ग) (i) मुझे इस निर्वाचन में ..... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।

या

(ii) मुझे इस निर्वाचन में ..... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है/ मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में

(i) ..... (ii)..... (iii) ..... हैं।

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर ..... (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(ड.) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं इस राज्य की विधान सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूं और निरर्हित भी नही हूँ।

†मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं.....**जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो ..... राज्य के उस राज्य में के ..... (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ..... **जाति/जनजाति हैं।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मुझे ..... राज्य की विधान सभा के लिये साथ–साथ कराये जा रहे वर्तमान साधारण निर्वाचन/उप–निर्वाचन में से दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जायेगा।

तारीख ..... अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

---

†यदि लागू न होने तो इस पैरा को काट दें।

**उन शब्दों को काट दें, जो लागू न हों।

कृपया ध्यान दें :– "'मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल" निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आंवटन) आदेश–1968 के अधीन संबंधित राज्य मे मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

[भाग–3क]

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को –

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 (1951 का 43) की धारा 8 की–
   (क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधो) के लिए ; या
   (ख) उपधारा (2) मे विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए, सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हैं, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया हैं।

हॉ/नहीं

यदि उत्तर "**हॉ**" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :–

(i) **मामला/ प्रथम सूचना रिपोर्ट** संख्यांक .....

(ii) पुलिस थाना(थाने) .....जिला (जिले) ..... राज्य .....

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था .....
.....

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें) .....

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था .....

(vi) अधिरोपित दंड कारावास [(कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें]
.....

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) .....

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरूद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाईल किये गये थेः **हां/नही**

(ix) फाईल की गई अपील (अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तारीख और विशिष्टियां .....

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किये गये थे ----------

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह /वे लंबित है .....

(xii) यदि उक्त अपील(अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो –

   (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) .....
   (ख) पारित आदेश (आदेशो) की प्रकृति .....

स्थान : **अभ्यर्थी के हस्ताक्षर**

तारीख :

भाग—4
(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन—पत्र की क्रम सं. .....

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में..... (तारीख) को ..... बजे *अभ्यर्थी/प्रस्थापक ..... (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख..... रिटर्निंग आफिसर

---

* जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए।

भाग —5
नामनिर्देशन—पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैनें इस नामनिर्देशन—पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा—36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं :—

.....

.

.....

.....

.....

तारीख..... रिटर्निंग आफिसर

.....(छिद्रण).....

भाग–6

नामनिर्देशन–पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन–पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नाम निर्देशन–पत्र की क्रम सं. ..... का, जो ..... विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हैं, नामनिर्देशन–पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में ..... (तारीख) को ..... (बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया। सभी नामनिर्देशन–पत्रों की संवीक्षा ..... (तारीख) को ..... (बजे) ....(स्थान) में की जाएगी।

तारीख.....

रिटर्निंग ऑफिसर

*लागू न होने वाले शब्द काट दीजिऐ।

शपथ अथवा प्रतिज्ञान का प्ररूप

[भारत के संविधान का अनुच्छेद–173(क)]

(राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किये जाने वाले प्रतिज्ञान)

मैं, ... जो विधान सभा (*या विधान परिषद) में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूं , ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि भारत की प्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूंगा।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और बड़े अक्षर में नाम)

श्री/श्रीमती ..... द्वारा मेरे समक्ष वर्ष 2017 के ..... माह के ..... दिवस को .....स्थान में ईश्वर की शपथ ली गई/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया।

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर नाम, पदनाम और मुहर)

.....

शपथ की प्राप्ति के लिए प्रमाण–पत्र

(प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी को सौंपा जाना)

प्रमाणित किया जाता है कि .....(नाम) जो कि विधान सभा या (विधान परिषद) के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हैं, ने .....तारीख को .....(बजे) (समय) मेरे कार्यालय में मेरे समक्ष भारत के संविधान द्वारा यथापेक्षित शपथ ली/प्रतिज्ञान किया है और उस पर हस्ताक्षर किए हैं।

तारीख :.....

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और मुहर)

---

*जो लागू न हो उसे काट दें, ध्यान दें: इस प्ररूप को अभ्यर्थियों को अंग्रेजी में तथा राज्य की राजभाषा, दोनो में प्रदान किया जाना चाहिए।